रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3345] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 11, 2019/आश्विन 19, 1941
No. 3345] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 11, 2019/ASVINA 19, 1941

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 2019

का.आ. 3675(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 371च के खंड (ढ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशेष विवाह अधिनियम 1954 (1954 का 43) को, जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है, निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए सिक्किम राज्य पर विस्तारित करते हैं, अर्थात् :-

(i) सिक्किम राज्य में ऐसी किसी विधि के जो प्रर्वतन में नहीं है या ऐसे किसी कृत्यकारी के जो अस्तित्व में नहीं है, के संबंध में उक्त अधिनियम में किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य में प्रवृत्त तत्समान विधि या विद्यमान तत्सम कृत्यकारी के प्रति निर्देश है:

परंतु यदि इस बारे में कोई प्रश्न उद्भूत होता है कि ऐसा तत्सम कृत्यकारी कौन है या यदि कोई ऐसा तत्सम कृत्यकारी नहीं है, तो केन्द्रीय सरकार इस बारे में विनिश्चय करेगी कि ऐसा कृत्यकारी कौन होगा और इस संबंध में केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

(ii) उक्त अधिनियम के उपबंध सिक्किम राज्य में उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे :

परंतु उक्त अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए और सिक्किम राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी ऐसे उपबंध में किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र में जहां इसे प्रवृत्त किया गया है, उस उपबंध के प्रवर्तन में आने के प्रतिनिर्देश है।

ह.-
राम नाथ कोविन्द
राष्ट्रपति

[फा. सं. 17/2/2018-एन. ई-II]
सत्येंद्र गर्ग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 9th October, 2019

S.O. 3675(E).—In exercise of the powers conferred by clause (n) of article 371F of the Constitution, the President hereby extends the Special Marriage Act, 1954 (43 of 1954) (hereinafter referred to as the said Act), to the State of Sikkim, subject to the following modifications, namely:-

(1) any reference in the said Act to a law not in force, or to a functionary not in existence, in the State of Sikkim shall be construed as a reference to the corresponding law in force, or to the corresponding functionary in existence, in that State:

Provided that if any question arises as to who such corresponding functionary is, or if there is no such corresponding functionary, the Central Government shall decide as to who shall be such functionary and the decision of the Central Government in that regard shall be final.

(2) The provisions of the said Act shall come into force in the State of Sikkim on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of the said Act and for different area in the State of Sikkim and any reference in any such provision to the commencement of the said Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision in the area where it has been brought into force.

Sd/-
RAM NATH KOVIND
President

[F. No. 17/2/2018-NE.-II]
SATYENDRA GARG, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.10.11 21:01:01 +05'30'